

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/52/2021/एफ0 सी0/2569

दिनांक: 31/03/2021

सेवा में,

- ✓ प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इण्टर कॉलेज चौण्डी से विरसण सेरा-मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/38635/2019)

सन्दर्भ:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2155/FP/UK/ROAD/38635/2019 दिनांक 13-02-2021


महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. Area mentioned in the FRA of DM is 1.89 ha. State Government may submit clarification in this regard.
2. Tree list of 21 trees in civil soyam land/ non-forest land is submitted. State Govt. may submit the tree list for trees in civil soyam land and non-forest land separately.
3. As per DSS analysis 1 ha area found in MDF. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08.11.2017 may be submitted.
4. Name of the CA area is not mentioned in the CA scheme, which may be done.
5. Swell factor is not added in the muck disposal plan. State Government may submit the muck disposal plan with swell factor calculation.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।


भवदीय,


(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

पत्रांक 2262 / 121 दिनांक 6-04-2021 (टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व निदेशक/वन संरक्षक
गोपेश्वर (का2क) नोडल अधिकारी को प्रेषित करें।

निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व